

# झारखण्ड विधान सभा

## कार्य सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

14 दिसम्बर, 2017 (ई0)

[एकादश(शीतकालीन)सत्र]

गुरुवार, तिथि-

23 अगस्त, 1939 (श0)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाहन)

-:प्रश्नोत्तर:-

- (01)- सभा के गत-सत्र के अंतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।  
(02)- अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।  
(03)- शून्यकाल की सूचनाएँ।

-:ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्य:-

- (04)- श्री राधाकृष्ण किशोर, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक:- 13.12.2017 से स्थगित)

- (05)- श्री आलमगीर आलम, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (रक्षाली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक:- 13.12.2017 से स्थगित)

- (06)- सर्वश्री भानु प्रताप शाही, सत्येन्द्र नाथ तिवारी एवं श्री देवेन्द्र सिंह, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (जल संसाधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक:- 13.12.2017 से स्थगित)

- (07)- श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (जल संसाधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक:- 13.12.2017 से स्थगित)

- (08)- श्री संजीव सिंह एवं श्री केदार हजरा, स0गि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (वित्त विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक:- 13.12.2017 से स्थगित)

क्ष०पृ०३०/-

- (०९) श्री निर्भय कुमार शाहाबादी एवं श्री गणेश गंद्धी, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार(प्रेयजल एवं स्वच्छता विभाग)की ओर से वक्तव्य।
- (१०)- श्री मनीष जायसवाल एवं श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (११)- सर्वश्री अरुप चटर्जी, राज कुमार यादव एवं श्री रवीन्द्र बाथ महतो, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (१२)- श्री बादल, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार(गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (१३) श्री अशोक कुमार एवं श्री राधाकृष्ण किशोर, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (भवन निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य।  
--: समितियों का गठन :--
- (१४)- झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।  
--: सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :--
- (१५)- संसदीय कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सरयू राय द्वारा झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार वित्तीय वर्ष-2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 तथा 2010-2011 के अंकेक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति का सभा मेज पर रखा जाना।
- (१६)- संसदीय कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सरयू राय द्वारा झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड अधिनियम, १९४८ की धारा-६९(५)(क) के परिप्रेक्ष्य में झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड का पृथक लेखा प्रतिवेदन(वर्ष-2001-2002 से 2013-14) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखा जाना।
- (१७) संसदीय कार्य के प्रभारी मंत्री द्वारा झारखण्ड राज्य विद्युत विनियामक आयोग के विनियमन संग्रह के खण्ड-१ एवं २ का सदन पटल पर रखा जाना।
- (१८)- संसदीय कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री श्री सरयू राय द्वारा दामोदर घाटी निगम अधिनियम (१९४८ के अधिनियम-१४) की धारा-४५ के अनुसरण में दामोदर घाटी निगम का वार्षिक प्रतिवेदन २०१५-१६ तथा वार्षिक बजट वर्ष-२०१६-१७ की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखा जाना।
- (१९)- झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (२०)- याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

-: वित्तीय-कार्य :-

- (21)- वित्तीय वर्ष 2017-18 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की माँगों पर वाद-विवाद सरकार का उत्तर तथा मतदान।

{कठौती प्रस्तावों की सूची अलग से वितरित की जा रही है}

-: विधायी-कार्य :-

राजकीय(विच)विधेयक

झारखण्ड विनियोग (संख्या-04) विधेयक, 2017

- (22)- मुख्यमंत्री (प्रभारी योजना-सह-वित्त) श्री रघुवर दास, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड विनियोग (संख्या-04) विधेयक, 2017” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

- (23)- मुख्यमंत्री (प्रभारी योजना-सह-वित्त) श्री रघुवर दास, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

- (24)- मुख्यमंत्री (प्रभारी योजना-सह-वित्त) श्री रघुवर दास, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड विनियोग (संख्या-04) विधेयक, 2017” पर विचार हो।

- (25)- मुख्यमंत्री (प्रभारी योजना-सह-वित्त) श्री रघुवर दास, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड विनियोग (संख्या-04) विधेयक, 2017” स्वीकृत हो।

झारखण्ड राज्य खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2017

- (26)- पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री श्री अमर कुमार बाड़ी, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड राज्य खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2017” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

- (27)- पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री श्री अमर कुमार बाड़ी, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

- (28)- पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री श्री अमर कुमार बाड़ी, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड राज्य खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2017” पर विचार हो।

- (29)- पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के प्रभारी मंत्री श्री अमर कुमार बाड़ी, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड राज्य खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2017” स्वीकृत हो।

झारखण्ड अनिवार्य विवाह निबंधन विधेयक, 2017

- (30)- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री अमर कुमार बाड़ी, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड अनिवार्य विवाह निबंधन विधेयक, 2017” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

- (31)- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री अमर कुमार बाड़ी, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।

- (32)- राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री अमर कुमार बातरी,प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड अनिवार्य विवाह निबंधन विधेयक, २०१७” पर विचार हो।
- (33)- राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री अमर कुमार बातरी,प्रस्ताव करेंगे कि “अनिवार्य विवाह निबंधन विधेयक, २०१७” स्वीकृत हो।

कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, २०१७

- (34)- राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री अमर कुमार बातरी,प्रस्ताव करेंगे कि “कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, २०१७” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (35)- राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री अमर कुमार बातरी,उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (36)- राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री अमर कुमार बातरी,प्रस्ताव करेंगे कि “कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, २०१७” पर विचार हो।
- (37)- राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री श्री अमर कुमार बातरी,प्रस्ताव करेंगे कि “कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, २०१७” स्वीकृत हो।


झारखण्ड शिक्षा व्यायाधिकरण (संशोधन) विधेयक, २०१७

- (38)- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० नीरा यादव,प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड शिक्षा व्यायाधिकरण (संशोधन) विधेयक, २०१७” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (39)- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० नीरा यादव,उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (40)- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० नीरा यादव,प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड शिक्षा व्यायाधिकरण (संशोधन) विधेयक, २०१७” पर विचार हो।
- (41)- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रभारी मंत्री डॉ० नीरा यादव,प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड शिक्षा व्यायाधिकरण (संशोधन) विधेयक, २०१७” स्वीकृत हो।
- (42)- अन्य गितान्त्र आवश्यक कार्य (यदि हो)।

बिनय कुमार सिंह  
प्रभारी सचिव,  
झारखण्ड विधान सभा,रौची।

ज्ञाप संख्या:-कार्योकार्यालय-२८६६/विंस०, रौची, दिनांक-१३/१२/१७

प्रतिलिपि:- मानवीय सदस्यगण, ड्यूरखण्ड विधान-सभा, रौची/मानवीय गुरुत्वान्त्री/ मानवीय अंत्रिगण/सरकार के मुख्य सचिव, ड्यूरखण्ड/ मानवीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ महाधिकारी, ड्यूरखण्ड, रौची/लोकसभा, लड़ दिल्ली/ड्यूरखण्ड सरकार के समर्त विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(सरोज कुमार)

अवर सचिव,

ड्यूरखण्ड विधान सभा, रौची।

ज्ञाप संख्या:-कार्योकार्यालय-२८६६/विंस०, रौची, दिनांक-१३/१२/१७

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप सचिव, सचिवीय कार्यालय को कमश्व: मानवीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।


  
(सरोज कुमार)

अवर सचिव,

ड्यूरखण्ड विधान सभा, रौची।

ज्ञाप संख्या:-कार्योकार्यालय-२८६६/विंस०, रौची, दिनांक-१३/१२/१७

प्रतिलिपि:- ड्यूरखण्ड विधान-सभा के सभी पटाधिकारीगण/वेबसाइट शास्त्रा/ पुस्तकालय शास्त्रा एवं जनसम्पर्क शास्त्रा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(सरोज कुमार)

अवर सचिव,

ड्यूरखण्ड विधान सभा, रौची।

ज्ञाप संख्या:-कार्योकार्यालय-२८६६/विंस०, रौची, दिनांक-१३/१२/१७

प्रतिलिपि:- ड्यूरखण्ड विधान-सभा के सभी विभागों/कार्यालयों एवं उनकी अधिकारी विभागों/कार्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञाप संख्या:-कार्योकार्यालय-२८६६/विंस०, रौची, दिनांक-१३/१२/१७

प्रतिलिपि:- ड्यूरखण्ड विधान-सभा के सभी विभागों/कार्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञाप संख्या:-कार्योकार्यालय-२८६६/विंस०, रौची, दिनांक-१३/१२/१७

प्रतिलिपि:- ड्यूरखण्ड विधान-सभा के सभी विभागों/कार्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञाप संख्या:-कार्योकार्यालय-२८६६/विंस०, रौची, दिनांक-१३/१२/१७

प्रतिलिपि:- ड्यूरखण्ड विधान-सभा के सभी विभागों/कार्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञाप संख्या:-कार्योकार्यालय-२८६६/विंस०, रौची, दिनांक-१३/१२/१७

प्रतिलिपि:- ड्यूरखण्ड विधान-सभा के सभी विभागों/कार्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञाप संख्या:-कार्योकार्यालय-२८६६/विंस०, रौची, दिनांक-१३/१२/१७

प्रतिलिपि:- ड्यूरखण्ड विधान-सभा के सभी विभागों/कार्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञाप संख्या:-कार्योकार्यालय-२८६६/विंस०, रौची, दिनांक-१३/१२/१७

प्रतिलिपि:- ड्यूरखण्ड विधान-सभा के सभी विभागों/कार्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञाप संख्या:-कार्योकार्यालय-२८६६/विंस०, रौची, दिनांक-१३/१२/१७

प्रतिलिपि:- ड्यूरखण्ड विधान-सभा के सभी विभागों/कार्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।